2023/40

फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– .... **सहायक कलक्टर** .... मुकाम– .... **डीडवाना** ....

प्रार्थी :– मो0 इलियास पुत्र स्व0 हाजी नाथुजी उम्र 46 वर्ष जाति लिलघर मुस्लमान निवासी कुंजडपाडा मौहल्ला तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

अप्रार्थीगण :– लियाकत पुत्र स्व0 समन उम्र 62 वर्ष जाति लिलघर मुस्लमान निवासी नागौरी गेट के अन्दर डीडवाना जिला नागौर राज0 वगैराह।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या. 11 सन्–.....2023..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
12.01.2023	प्रार्थी मो0 इलियास पुत्र स्व0 हाजी नाथु उम्र 46 वर्ष जाति लिलघर मुस्लमान निवासी कुंजडपाडा मौहल्ला तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण लियाकत पुत्र स्व0 समन उम्र 62 वर्ष जाति लिलघर मुस्लमान निवासी नागौरी गेट के अन्दर डीडवाना जिला नागौर जिला नागौर राज0 वगैराह का पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी श्री अल्ताफ हुसैन को सुना गया तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, वे आगामी पेशी तक सरहद पठानो का बाढ, पटवार हल्का सिंघाना के खसरा सं0 73 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा, खसरा सं0 53 रकबा 11 बीघा पुराना खसरा सं0 72 रकबा 6 बीघा जिसके नये खसरा 86 रकबा 0.9700 हैक्टे0 की भूमि में राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनायें रखें। **नोट** :– 1. उक्त स्थगन आदेश धारा 251A, 251 पर प्रभावी नही रहेगा। 2. प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 के आदेश 39 नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें। 3. अप्रार्थीगण के समन जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये जावें। अप्रार्थीगण को तलब होकर पत्रावली दिनाँक 03.02.2023 को पेश हो। सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)	
3/2/23	पत्रावली पेश हुई [illegible] कार्य स्थगित रखा है, मिसल दिनांक 6/4 को पेश हो। [illegible]	

[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.01.02 17:21:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

6/5/23 पत्रावली पेश हुई। ... अन्य कार्य। दौरे पर पधारे हैं, मिसल दिनांक 18/5/23 को पेश हो।

14/6/23 कर्मचारीयों के सामूहिक अवकाश पर रहने के कारण पत्रावली आज पेश हुई। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 18/8/23 को पेश हो।

18/8/23

पत्रावली पेश हुई,

अधिवक्ता अप्रार्थीगण अपने काउन्टर क्लेम को प्रेस नहीं कर रहे हैं अतः काउन्टर क्लेम not-press में खारिज किया जाता है

प्रार्थी व उसके अधिवक्ता को बार-बार आवाजें लगाई गई परन्तु पुकार के बावजूद भी न्यायालय में अनुपस्थित है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है

पत्रावली अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.01.02 17:21:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner